



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/847

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री खिलेश कुमार साहू आ. किशोर कुमार साहू
 2. श्री नन्द कुमार साहू आ. किशोर कुमार साहू
- पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 551/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/848

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023.

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/849

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती रूखमणी देवांगन पति श्री सुरेन्द्र कुमार

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 551/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/850

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/851

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती राजमती बाई पति श्री समारु देवांगन
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-
सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 551/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरो का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/852
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/853

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

वर्मा ट्रेडर्स

प्रो. श्री मनोज वर्मा आ. श्री मेघनाथ वर्मा

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 552/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/854

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/855

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती रामदू पुजा पति श्री डून्ना बोगेश्वर राव
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 550/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/856

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/857

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री अनिमेष सिंह आ. अशोक सिंह
पता- खुर्सीपार, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 550/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/858

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,
ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/859

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री प्रमोद कुमार शर्मा आ. हरिप्रसाद शर्मा
पता- चिखली, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 550/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/860

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/861

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री रामजी आ. श्री बैसाखू
 2. श्री खेमराज आ. श्री बैसाखू
- पता- कोहका, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्परण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 542, 542/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्परण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/862

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/863

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री धनश्याम आ. गजाधर

2. श्री ओमकार आ. गजाधर

3. श्री नेमूलाल आ. गजाधर

पता- पुरानी बस्ती वार्ड नं. 16 कुरुद, भिलाई

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 996, 996/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/864

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/865

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती तुलिका केडिया पति श्री नवीन केडिया

पता- नेहरू नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 522, 522/1, 525, 525/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/866

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/867

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती संगीता पति श्री जियालाल
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-
सन्दर्भ:-

- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
 2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 518/13, 519, 519/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/868

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/869

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री कोमल कुमार सिन्हा आ. खेमलाल सिन्हा
पता- म.नं. 199 वार्ड नं. 23, केम्प-02, गांधी चौक,
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 491/3, 492, 492/1, 493, 493/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरो का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/870

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/871

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री रोहित कुमार आ. जगेसर गोड़
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 494, 494/1, 495, 495/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/872

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/873

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

मेसर्स आर.जी.एस. विलकन

श्री देवेन्द्र मध्यानी आ. खेमलाल मध्यानी

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 491, 491/1, 518, 518/1, 520, 520/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्ता
नगर पालिक निगम
भिलाई

पु.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/874

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्ता
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/875

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री डेवेन्द्र कुमार आ. श्री रिखीराम

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 482/5 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/876

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/877

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री शेखर कुमार आ. श्री रिखीराम

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 482/6, 483/4 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/878

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nlgam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/879

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री डेवेन्द्र कुमार आ. श्री रिखीराम
2. श्री शेखर कुमार आ. श्री रिखीराम
3. संतोषी आ. श्री रिखीराम
4. श्री रिखीराम आ. गयाराम

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 482, 482/1, 483, 483/1, 483/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/880

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nlgam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/881

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

जी.डी. रूंगटा फाउन्डेशन दुर्ग
अध्यक्ष संतोष कुमार रूंगटा आ. धनश्याम रूंगटा
पता- गंजपारा, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 455, 455/1, 465, 465/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/882

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nlgam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/883

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती सीमा शर्मा पति श्री रमाशंकर शर्मा

पता- शंकर नगर, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 457, 457/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह गान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/884

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nlgam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/885

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री मनीष कुमार शर्मा आ. अनिल कुमार शर्मा

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 457/9 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/886

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nlgam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/887

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

मेसर्स शिवनाथ इंटरप्राइजेस

1. पार्टनर सुन्दर लाल पटेल आ. बंशीलाल पटेल

2. पार्टनर विनोद कुमार आ. चन्द्रप्रकाश उपाध्याय

पता- अग्रसेन आई.टी.आई. के पीछे, कुरुद रोड

कोहका, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 453/28, 453/31 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाहन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/888

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nlgam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/890

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती सीमा चौरसिया पति श्री सुदामा चौरसिया

पता- म.नं. 43, सड़क नं. 23, पुरानी बस्ती

सिरसा रोड, सुपेला, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 453/12, 453/24 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/891

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/892

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री शिवम कुमार आ. रामजीत यादव
 2. श्री सुरेश कुमार यादव आ. रामजीत यादव
- पता- म.नं. 22/6, कृष्ण टाकिज मार्ग
मैत्री नगर, रिसाली, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 453, 453/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्वक नही होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/893

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/894

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती अफशा परवीन पति परवेज आलम

पता- प्लॉट नं. 20, सड़क नं. 14

प्रगति नगर, रिसाली, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 451, 451/1, 451/4 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्ता

नगर पालिक निगम
भिलाई

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/895

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/896

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रति,

//नोटिस//

श्री अशोक कुमार आ. श्री रामगूरत मौर्या

पता- कृष्णा नगर, सुपेला

भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1047/7, 1047/8, 1047/9 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा के अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/897

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/म.अ./2025/898

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री कमल आ. कृष्ण कुमार

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 547/8, 555/1, 555/2, 557 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/म.अ./2025/899

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/१००

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री समेलाल (समयलाल) आ. श्री जेठू
 2. मेहतरी पिता जेठू
 3. सरस्वती पिता जेठू
- पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 547/6, 555/3, 555/4 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/१०१

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/म.अ./2025/902

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती कुमारी साहू पति अर्जुन साहू
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1542/11 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा के अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्वक नही होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/म.अ./2025/903

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, रुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/904

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री हरिशंकर आ. अमृत लाल
 2. श्रीमती बिसनी बाई पति श्री हरिशंकर
- पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 556/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा के अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/905

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/ 906

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री नरसिंह आ. श्री पदुम

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 556/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/907

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/१०८

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री लालाराम आ. श्री बिसेसर

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 335/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/१०९

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/910

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री सूर्यकांत आ. कन्हैया
2. श्री दवेश कुमार आ. कन्हैया
3. निर्मला आ. कन्हैया
4. पार्वती आ. दुखित
5. कुवरिया आ. दुखित राम

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

00000000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 335/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/911

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/912

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती सपना कुशवाहा पति श्री अशोक कुशवाहा

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1542/7 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरो का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/913

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/म.अ./2025/914

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री देवेन्द्र कुमार आ. सुन्दर लाल
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 555/7 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/म.अ./2025/915

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/म.अ./2025/916

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री राम किसुन आ. मंगतू
2. श्री बिसाहिन बाई पति मंगतू
- पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 331/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा के अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/म.अ./2025/917

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/म.अ./2025/918

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती अंजू बाई देवांगन पति श्री खिलावन देवांगन
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-
सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 331/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/म.अ./2025/919

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/920

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती सी. कावेरी पति श्री सी. श्रीनिवाजु

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 331/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/921

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/म.अ./2025/922

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री विरेन्द्र यादव आ. लक्ष्मण यादव

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 333/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा के अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/म.अ./2025/923

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/923

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्रीमती बुधन्तीन पति स्व. चिन्ता राम
2. श्री मोहर सिंह आ. स्व. चिन्ता राम
3. श्री प्रीतम सिंह आ. स्व. चिन्ता राम
4. श्री टीकम सिंह डहरिया आ. स्व. चिन्ता राम
5. श्री चन्द्रहास डहरिया आ. स्व. चिन्ता राम

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 333/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा के अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्यक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/924

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/926

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री रिषभ सिंह आ.स्व. अनिल कुमार सिंह
 2. श्री राजवंश सिंह आ.स्व. अनिल कुमार सिंह
- पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 333/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/927

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/928

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती इसरत जहां पति मोहम्मद इमरान
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-
सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 353 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा के अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

प.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/929

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/930

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री छितकु आ. भंवर सिंह

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 352 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/931

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/939

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती अनिता देवी पति श्री राम प्यारे
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 351/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/933

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, रुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/334

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती कमला देवी पति श्री कमला प्रसाद
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 350/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/935

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/936

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

गीतांजली गोस्वामी आ. राजवीर सिंह
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 552/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/937

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nlgam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/९३९

भिलाई, दिनांक 27/ 6/ 2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती कुमारी बाई वर्मा पति श्री बलराम वर्मा
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 552/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा के अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/९३९

भिलाई, दिनांक 27/ 6 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/940

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री राजीव जैन आ. स्व. कपीलदेव जैन
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 350/1, 351/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त.

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/941

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त.

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/942

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

विशाल डेवलपर्स प्रोपार्टर
श्री संजीव कुमार सिंह आ.स्व. लालदेव सिंह
पता- रूंगटा कालेज पेट्रोल पम्प के पास
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 350/2, 351/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/943

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/944

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री अशोक कुमार आ. सुन्दर लाल
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वागित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 555/6 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/945

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/946

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री दीपेन्द्र प्यारे लाल जी टावरी
आ. श्री प्यारेलाल जी टावरी
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 555/5 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/947

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/948

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री पुनाराम आ. श्री दयाराम

पता-कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 386, 386/1, 387, 387/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/949

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/950

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री अनुज राम आ. श्री दयाराम
पता-कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 385, 385/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/951

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/952

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री पुरानिक लाल साहू आ. पंचूराम साहू
2. श्री कोदू राम आ. पंचूराम साहू
3. हिरौंदी बाई / पंचूराम साहू
4. महतरीन साहू / पंचूराम साहू
5. भगवती साहू / पंचूराम साहू

पता-कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 356, 356/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/953

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/954

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री बाबूलाल आ. श्री थानूराम
पता-कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

- विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 318/7 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/955

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/956

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री डेरहा लाल आ. श्री अंकालू राम
पता-कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 317/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरो का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्वक नही होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/957

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/958

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री हबीबुल रहमान आ. मोहम्मद सुलेमान

पता- 1273, कैलाश नगर, कुरुद

भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 201, 201/1, 465/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/959

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/960

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री केजूराम आ. श्री पीलू राम
पता-कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 317/1, 501, 501/1, 503, 503/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्वक नही होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/961

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकारा गंगा, चुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/962

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री अंकालू राम आ. श्री केजूराम
पता-कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 317/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/963

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/964

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री पंचराम आ. कृपालु

2. सतरूपा आ. कृपालु

3. प्रमिला आ. कृपालु

4. गायत्री आ. कृपालु

5. जन्त्रीन आ. कृपालु

6. प्रतिमा साहू आ. कृपालु

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम- कुरुद खसरा क्रमांक 198, 198/1, 199, 199/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

क्रमशः.....02



पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/965
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,
ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/१८८

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री राजेश पांडुरंग छोटे आ. पांडुरंग छोटे
पता- बसेवारा कलान, खैरा, अरजी
भिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

विषय :-
सन्दर्भ:-

- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
 2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 195/9 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/१८७

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nlgam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/968

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री राम किशन मोदी आ.स्व. लालूराम मोदी
 2. श्री जितेन्द्र मोदी आ. श्री आर.के. मोदी
- पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 194/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/969

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nlgam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/970

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

मोहम्मद इरफान आ. नूर अहमद
पता- हनुमान मंदिर के पास
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 194/1, 195/1, 201/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/971

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,
ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/ 972

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री मोहन आ. श्री जेदू राम

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 192/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/ 973

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, गिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/374

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री केवल आ.स्व. भूखनलाल
पता- म.नं. 212 पुरानी बस्ती, गोड़पारा
कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-
सन्दर्भ:-

- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
 2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 179/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/375

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/976

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती भास्कर राव राऊलो पति स्व. अपन्ना राऊलो

पता- जमादार, पुद्दुगा, पोस्ट-गोरलेपाडु,

PS-कविति, श्रीकाकुलम, आंध्रप्रदेश, पिन-532290

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 177/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/977

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/978

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

राधा आ. श्री बुधरू राम
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

- विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वाभित्त की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 172/10 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः वयों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/979

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, रुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/ 980

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती हेमनन्दनी चन्द्राकर
पति श्री भूधर लाल चन्द्राकर
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-
सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र
क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 177, 177/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/ 981

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/म.अ./2025/982

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

संतोषी आ. श्री बुधरू राम
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 172/9 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/म.अ./2025/983

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/984

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री डेरहा राम आ. श्री बुधरु राम
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 172/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अघोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/985

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,
ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/ 986

भिलाई, दिनांक 27/6 /2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री नरेन्द्र आ. श्री बुरू राम
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 172/4 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 27/6 /2025

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/ 987

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/988

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री संजय अग्रवाल आ. श्री राधेश्याम अग्रवाल
 2. श्री राघव अग्रवाल आ. श्री संजय अग्रवाल
- पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 170/10, 170/11 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/989

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/११०

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती बुधयारीन जौजे परसदी
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 170, 170/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/१११

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/992

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

मेसर्स भूमि कॉलोनाईजर एवं डेवलपर्स
पार्टनर 1. श्री अनिल कुमार चौबे आ. श्री लखन लाल
2. श्री रविशंकर साहू आ. श्री पुनीतराम साहू
पता- एकता चौक, कैलाश नगर, कुरुद,
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 151, 151/1, 151/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/993

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/९९४

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री जगदीश प्रसाद साहू आ. थानूराम साहू
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 141/4 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/९९५

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/९९६

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री गोवर्धन आ. सालिक राम
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 140, 140/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/ ९९७

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त.
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/998

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती मंजुदेवी पति श्री अमरजीत
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1542/15 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नही होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/999

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/1000

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती दुर्गावती पति श्री रामअवध

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1542/9 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/1001

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/1002

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री प्रेमसुख आ. स्व. थनवार

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1542, 1542/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/1003

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/1004

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री अलखराम आ. श्री वीरसिंह

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1324/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/1005

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/1006

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री सुशांत दुखहरण सिंह आ. दुखहरण सिंह
पता- सड़क नं. 02 जवाहर नगर सुपेला,
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1003, 1003/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/1007

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/1008

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

निर्मला जायसवाल पिता लालमन जायसवाल
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1542/8 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/1009

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/म.अ./2025/1010

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्रीमती दुर्गा बाई आ. श्री सुखरु
 2. श्रीमती दुरपती बाई आ. श्री सुखरु
- पता- कोहका, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

- सन्दर्भ:-
1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
 2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 1000, 1000/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/म.अ./2025/1011

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,
ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/1012

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री रूपलाल साहू आ. स्व. श्यामलाल
 2. श्री रामानंद आ. स्व. श्यामलाल
 3. सतहेजी आ. स्व. श्यामलाल
 4. सुमित्रा आ. स्व. श्यामलाल
 5. सुनिती आ. स्व. श्यामलाल
 6. सविता आ. स्व. श्यामलाल
 7. उर्वशी आ. स्व. श्यामलाल
 8. खेमिन आ. स्व. श्यामलाल
 9. श्रीमती पीलम बाई पति स्व. श्यामलाल
- पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम- कुरुद खसरा क्रमांक 502, 502/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

क्रमशः.....02



पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/1013

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।



आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/1014

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री डेरहा राम आ. श्री बुधरु
2. श्री नरेन्द्र आ श्री बुधरु
3. इंदिरा आ. श्री बुधरु
4. सरस्वती आ. श्री बुधरु
5. संतोषी आ. श्री बुधरु
6. कल्याणी आ. श्री बुधरु
7. सोनिया आ. श्री बुधरु
8. राधा आ. श्री बुधरु

पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम- कुरुद खसरा क्रमांक 172, 172/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

क्रमशः.....02



प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/1016

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्रीमती गंगाबाई पति श्री मंगलदास
 2. श्री तारणदास आ. श्री मंगलदास
 3. श्री हीराराम आ. श्री मंगलदास
 4. मांगोबाई आ. श्री मंगलदास
- पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 450, 450/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/1017

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/1018

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री रेवाराम आ. श्री भुलऊ राम
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 339/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसराओं का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तों) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/1019

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/1020

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री राजाराम आ. श्री भुलऊ राम
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

0000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 339/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/1021

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/1022

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती इंदिरा बाई पति श्री थनवार
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 336, 337, 338 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/1023

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/म.अ./2025/1024

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री शशांक स्तोगी आ. योगेन्द्र प्रकाश रस्तोगी
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 334 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/म.अ./2025/1025

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/1026

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री बलराम आ. स्व. रामजी साहू
पता-कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-
सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 388/1 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरा के अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/1027

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, रुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/1028

भिलाई, दिनांक 27/6 /2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती पुजा गुप्ता पति श्री जयप्रकाश गुप्ता
पता- कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 450/5 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/1029

भिलाई, दिनांक 27/6 /2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/1030

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती शीला देवी पति श्री राजेश सोनकर

पता-राजीव नगर, सुपेला

भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 438/19 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/1031

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/1032

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री रामखिलावन आ. श्री थनवार
पता-कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 438/2 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्त) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/1033

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई





कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2025/1034

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

//नोटिस//

प्रति,

श्री राजकुमार आ. श्री थनवार

पता-कुरुद, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025
2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कुरुद खसरा क्रमांक 438/3 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नही होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

पू.क्र./सात/दो/भ.अ./2025/1035

भिलाई, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर, पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

